न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2014 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 04.06.2014

रामलाल पिता प्रेमचन्द सालवी निवासी बड़ावली, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

–निगराकार

बनाम

1–श्री बाबूगिरी पिता प्रेमगिरी गोस्वामी निवासी बडावली, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2–ग्राम पंचायत बडावली जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बडावली, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 300 आदेश दिनांक 11.11.1998 ग्राम पंचायत बडावली पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

उपस्थिति : 1– श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री राकेश पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 26.10.2017

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर जो पट्टा जारी किया गया है उस पर दुकान का स्वामित्व निगराकार का होकर निगराकार द्वारा उक्त दुकान विपक्षी संख्या 1 को चाय की थडी (दुकान) हेतु वर्ष 1995 में किराये पर दी थी जिसकी मौखिक शर्तानुसार निगराकार दुकान का किराया नहीं लेगा तथा विपक्षीगण निगराकार को चाय पिलाएगा। फिर भी विपक्षी संख्या 2 ने बिना किसी जांच व पडताल किये सरपंच द्वारा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की गरज से गलत पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बडावली द्वारा जारी पट्टा संख्या 300 दिनांक 11.11.1998 निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तलबीदा पत्रावली के संबंध में ग्राम पंचायत बडावली का पत्रांक/ग्रा.पं./2015/62 दिनांक 22.09.15 प्राप्त हुआ कि उक्त पट्टे से संबंधित मिसल/पत्रावली तथा पट्टा बूक ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। बाबूगिरी पिता प्रेमगिरी को जारी जमा रसीद नं. 4 दिनांक 11.11.1998 की प्रति संलग्न की है। पत्र शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश पुरी गोस्वामी ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा से मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

निगराकार के अधिवक्ता ने निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर जो पट्टा जारी किया गया है उस पर दुकान का स्वामित्व निगराकार का होकर निगराकार द्वारा उक्त दुकान विपक्षी संख्या 1 को चाय की थडी (दुकान) हेतु वर्ष 1995 में किराये पर दी जिसकी मौखिक शर्तानुसार निगराकार दुकान का किराया नहीं लेगा तथा विपक्षी निगराकार को बदले में चाय पिलाएगा, उसका कोई रूपया नहीं लेगा। विवादित भूखण्ड निगराकार का पुश्तैनी मकान व दुकान होकर उस पर निगराकार का कब्जा है जिसका स्वमित्व निगराकार का है फिर भी पंचायत ने बिना कोई जांच पडताल किये सरपंच द्वारा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की गरज से गलत पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी कर दिया। पंचायत द्वारा कोई पत्रावली कायम नहीं की, नही प्रस्ताव लिया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई। पट्टा जारी करने से पूर्व भूखण्ड का पर्चा मौका ही नहीं बनाया गया जिससे भी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत बडावली द्वारा जारी पट्टा संख्या 300 दिनांक 11.11.98 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगराकार द्वारा दुकान हेतु जमीन किराये पर नहीं दी गई मनगढन्त तथ्य अंकित किये हैं। निगराकार ने अपना पुश्तैनी मकान बताकर तथ्य अंकित किये हैं जिसका पट्टा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं विपक्षी संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया गया है वह निगराकार के मकान के पूर्वी दिशा में स्थित है न कि निगराकार की जमीन पर। गलत एवं भ्रामक तथ्य अंकित किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा कानूनन सही तौर पर जांच पडताल के बाद ही पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से पत्रावली कायम कर संकल्प संख्या 10 दिनांक 27.02.1998 को मंजूर की गई एवं विपक्षी द्वारा रसीद संख्या 4 दिनांक 11.11.98 से राशि जमा करा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के नियंत्रण रजिस्टर की कम संख्या 19 पर दिनांक 21.12.1998 को विकास अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा हस्ताक्षर कर पट्टा जारी किया गया है कोई आनन-फानन में पट्टा जारी नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत ने विधिवत् प्रक्रिया

अपनाकर, नियमों के अनुरूप ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारीज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। ग्राम पंचायत में पट्टे से संबंधित रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा से निगरानी में वर्णित तथ्यों के संबंध में कब्जे, वास्तविक/वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की जिसके अनुसार ग्राम पंचायत बडावली द्वारा जारी पट्टा संख्या 300 दिनांक 11.11.98 श्री बाबूगिरी पिता प्रेमगिरी निवासी बडावली को जारी किया गया है, जिस पर वर्तमान में बाबूगिरी का कब्जा है। प्रार्थी को आवंटित पट्टा संख्या 300 पर कच्ची कोट बना 16X16 फिट पर होटल व कम्प्रेशर लगा रखा है। भूमि बाबूगिरी के कब्जे में है।

विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 300 दिनांक 11.11.98 पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा के नियंत्रण रजिस्टर की क्रम संख्या 19 पर दिनांक 21.12.1998 को दर्ज होकर पट्टे पर विकास अधिकारी, पंचयात समिति निम्बाहेड़ा के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। निगराकार ने विवादित भूखण्ड पर उसका पुश्तैनी कब्जा होने संबंधी किसी प्रकार का साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है। निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़